रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1474] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/ आषाढ 24, 1936
No.1474] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2014

का.आ. 1833(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	किमी में खंड
(1)	(2)	(3)
23	चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड	किमी 8.500 से किमी 15.750 तक
200	चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड (ओडिशा राज्य में)	किमी 301.890 से किमी 365.500

[फा.सं. एनएच-14013/19/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2014

S.O. 1833(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
23	Chandikhole-Dubari-Talchar section	From Km. 8.500 to Km. 15.750.
200	Chandikhole-Dubari-Talchar section (in the State of Odisha)	From km. 301.890 to km. 365.500

[F. No. NH-14013/19/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2014

का.आ. 1834(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 19 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
19	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (बालासोर से ओडिशा/झारखंड सीमा तक किमी 200/0 से किमी 280/060 तक), सं. 6 [किमी 0.000 से किमी 88.000 तक (सम्भलपुर-बारागढ-ओडिशा/छत्तीसगढ सीमा) छोड़कर], सं. 23 [किमी 8.500 से किमी 15.750 (चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड) तक छोड़कर और किमी 211.200 से किमी 336.815 (बिरमित्रापुर-बारकोट खंड) तक छोडकर], सं. 43, सं. 75, सं. 200 [किमी 301.890 से किमी 428.030 (चंडीखोल-दुबरी-तलचर खंड) तक छोड़कर], सं. 217, सं. 201, सं. 203 [किमी 0.000 से किमी 59.000 (भुवनेश्वर-पुरी) तक छोड़कर], सं. 203ए, सं. 215[किमी 0.000 से किमी 269.000 (पाणिखोल-रिमूली-रोक्सी-राजमुंडा) तक छोड़कर], सं. 224, नई रारा सं. 153बी, नयी रारा सं. 157, नयी रारा सं. 220 और नयी रारा सं. 326 का भाग जो ओडिशा राज्य में अवस्थित है।	ओडिशा राज्य सरकार

[फा.सं. एनएच-14013/19/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना को संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशोधन संख्या का. आ. 1044(अ) तारीख 7 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2014

S.O. 1834(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 19 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
19	So much of National Highways No. 5 (from Km. 200/0 to Km. 280/060 from Balasore to Orissa/Jharkhand Border), No. 6 [excluding from Km. 0.000 to Km. 88.000 (Sambhalpur-Baragarh-Orissa/Chhatisgath Border)], No. 23 [excluding from km. 8.500 to km. 15.750	State Government of

	(Chandikhole-Dubari-Talchar section) and from Km. 211.200 to Km. 336.815 (Birmitrapur-Barkote Section)], No. 43, No. 75, No. 200 [excluding from Km. 301.890 to Km. 428.030 (Chandikhole-Dubari-Talchar section)], No. 217, No. 201, No. 203 [excluding from Km. 0.000 to Km. 59.000 (Bhubaneswar-Puri)], No. 203A, No. 215 [excluding from Km. 0.000 to Km. 269.000 (Panikholi Rimuli-Roxy-Rajamunda)], No. 224, new NH No. 153B, new NH No. 157, new NH No. 220 and new NH No. 326 as are situated within the State of Odisha.	Odisha

[F. No. NH-14013/19/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note:— The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044 (E), dated the 7th April, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.